न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 422 सन 2018
अनवान :–

1. रामकुमार पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

बनाम

1. रामसिह 2 रामप्रताप पि0 मनफुल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3 गुडडी उर्फ शकुन्तला पत्नी महावीर जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4 लिलावती पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
5 अरविन्द्र पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 01.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 108 / 105 की कुल 1.0120हैक जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब के खातेदार काश्तकार है व रोही मौजा चक 2 आरएमएस के खाता संख्या 109 / 100 की कुल 5.5660हैक जिसकें वादी व प्रतिवादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 101 / 96 की कुल 2.8300हैक जिसके वादी एवं प्रतिवादी मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज है वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्त की सुविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एवं प्रतिवादीगण अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी हैं वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 मुश्तरका काश्तकार है एवं एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्त की सुविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज है अर्थात मुश्तरका खातेदार काश्तकार है वादी का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया उसी के अनुसार काश्त करते आ रही है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है

0.1265हैक , प0न0 364/415(79) के किला न0 1/2 की 0.1265हैक , 2/2 की 0.1265हैक , 3/3 की 0.1265हैक , दक्षिणी तरफ की भूमि रहेगी। प0न0 363/415(78) के किला न0 6 ,7/0.506हैक , प0न0 364/415(79) के किला न0 8 ता 10/0.759हैक भूमि रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 100/-- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्ररी आज दिनांक 01.02.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official